न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 153/2019

बैंक ऑफ बडौदा
शाखा– देव प्लाजा हरिभाउ नगर, पुष्कर रोड, अजमेर(राज.)
जरिये प्राधिकृत अधिकारी .....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1.श्री सैयद हाफिजुदीन चिश्ती पुत्र श्री सैयद कमरूदीन चिश्ती
पताः– 19/445, फैज–ओ चिश्तिया हाऊस, पनीग्राम चौक, अजमेर(राज.)
मकान नं0 3/34–जी, नाका मदार, अजमेर (राज.)

..... अप्रार्थी/ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री सत्येन्द्र .खोरानियॉ :– अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 14.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री सैयद हाफिजुदीन चिश्ती पुत्र श्री सैयद कमरूदीन चिश्ती पताः– 19/445, फैज–ओ चिश्तिया हाऊस, पनीग्राम चौक, अजमेर(राज.) तथा मकान नं0 3/34–जी, नाका मदार, अजमेर(राज.) को दिनांक 12.03.2014 रू. 7,50,000/– (अक्षरे सात लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थी ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर नाका मदार, अजमेर(राज.) स्थित मकान नं0 3/34–जी, क्षेत्रफल 42.187 वर्गमीटर, जो श्री सैयद हाफिजुदीन चिश्ती पुत्र श्री सैयद कमरूदीन चिश्ती के नाम से है, जिसकी सीमाऍं– पूर्व में– रोड, पश्चिम में– मकान नं. 3/13–जी, उत्तर में– मकान नं. 3/33–जी, दक्षिण में– मकान नं. 3/35–जी, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 29.06.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.07.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 5,35,241.85 /– (अक्षरे रूपये पांच लाख पैंतीस हजार दो सौ ईक्तालीस एवं पिच्यासी पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष बंधक सम्पत्ति नाका मदार, अजमेर(राज.) स्थित मकान नं0 3/34–जी, क्षेत्रफल 42.187 वर्गमीटर, जो श्री सैयद हाफिजुदीन चिश्ती पुत्र श्री सैयद कमरूदीन चिश्ती के नाम से है, जिसकी सीमाएँ– पूर्व में– रोड, पश्चिम में– मकान नं. 3/13–जी, उत्तर में– मकान नं. 3/33–जी, दक्षिण में– मकान नं. 3/35–जी, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner